International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 01(II), January- March, 2025, pp. 116-120

जलवायु परिवर्तनीय विधिशास्त्र के निर्माण मे भारतीय न्यायपालिका का योगदान

Mamta Dangi*

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन सेतात्पर्य, जलवायु में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जो वैश्विक वायुमंडल की संरचना को बदलता है और जो तुलनीय समय अवधि में देखी गई प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त है।[1] पर्यावरण में गिरावट के वैश्विक मुद्दे का एक पहलू "जलवायु परिवर्तन" है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी प्रयास कर रहा है। जब से वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह साबित हुआ है कि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का अत्यधिक निर्माण वायुमंडल के बढ़ते तापमान का कारण है, तब से ग्लोबल वार्मिंग के विज्ञान, गंभीरता और रोकथाम के बारे में चर्चाएँ होती रही हैं। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, अब आम सहमति है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित किया जाना चाहिए ताकि अतिरिक्त वायुमंडलीय वार्मिंग को रोका जा सके जो अन्यथा सभी जीवित चीजों के लिए हानिकारक होगा, चाहे उनका स्थान या स्थिति कुछ भी हो।

यू.एस. ग्लोबल चेंज रिसर्च प्रोग्राम"2 ने 2018[2] में चौथे राष्ट्रीय जलवायु आकलन के रूप में जानी जाने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने निष्कर्ष निकाला की, "मानव–कारण जलवायु परिवर्तन के सबूत भारी हैं और मजबूत होते जा रहे हैं,देश भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेज हो रहे हैं, और अमेरिकियों की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए जलवायु से संबंधित खतरे बढ़ रहे हैं।" यह वास्तव में, "जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल की विशेष रिपोर्ट, "1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग"में दोहराया गया था[3] जो व्यक्त करता है कि, "पूर्व–औद्योगिक काल से लेकर वर्तमान तक मानवजनित उत्सर्जन से होने वाली गर्मी सदियों से लेकर सहस्राब्दियों तक बनी रहेगी और जलवायु प्रणाली में आगे भी दीर्घकालिक बदलाव लाती रहेगी।

जलवायु परिवर्तन का अर्थ

तापमान में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का केवल एक हिस्सा है, इस तथ्य के बावजूद कि "ग्लोबल वार्मिंग" और "जलवायु परिवर्तन" शब्द आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। इसे पूरी तरह से समझने के लिए "मौसम" और "जलवायु" के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। जलवायु मौसम का दीर्घकालिक औसत है। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के संबंध में, केवल तापमान पैटर्न से अधिक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। औसत तापमान के अलावा जलवायु परिवर्तनों से प्रकृति और समाज अधिक सीधे प्रभावित होते हैं।

* Research Scholar (Law), University College of Law, MLSU, Udaipur, Rajasthan, India.

[1] अनुच्छेद 2 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज।

[2] फोर्थ नेशंस क्लाइमेट एसेसमेंट वॉल्यूम 2 इंपैक्ट रिस्क और एडपटेशन प्शन इन यु एस। https://nca2018. Globalchange. Gen.

[3] IPCC. https://www.ipcc.ch

जलवायु विज्ञान विशेष रिपोर्ट के अनुसार, "जलवायु परिवर्तन हमारे रहने के तरीके और स्थान को बदल रहा है और स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था और हमें सहारा देने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के लिए बढ़ती चुनौतियाँ पेश करता है।[1] दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले प्रलेखित परिवर्तनों में समुद्र के स्तर में वृद्धि, बर्फ के द्रव्यमान का नुकसान, मौसम के पैटर्न में बदलाव, सूखे और भारी वर्षा में वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप अक्सर बाढ़ आती है, और नदी के प्रवाह में बदलाव शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन क़ो नियंत्रित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे है, हालांकि अभी भी कही अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान

पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य विश्व युद्ध के पश्चात हुआ क्योंकि उत्पादन में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने हेतु सभी देशों मे होड़ लग गई, जिसके तहत उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया। पारम्परिक समाज को आधुनिकीकरण की तरफ परिवर्तन करते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिला, और जिसके लिए अत्याधुनिक तकनिको को प्रयुक्त मे लिया जाने लगा, जिस कारण पर्यावरण प्रदुषण और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हुआ।

विकासशील देश इस तरह के दायित्वों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं, उनका दावा है कि अमीर देश अपने आर्थिक विस्तार के परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। छोटे द्वीप विकासशील राज्यों और ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों से सबसे अधिक जोखिम वाले अन्य राज्यों ने मजबूत और व्यावहारिक प्रतिज्ञाओं के लिए जोर दिया है। पर्यावरण का गिरता स्तर देखकर 1972 मे सर्वप्रथम पर्यावरण सरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कदम उठाते हुए स्टॉकहोम मे घोषणा करते हुए सभी सदस्य राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी कानून बनाने का आव्हान किया गया।मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य खो रहा था, इसलिए 1972 की घोषणा ने चेतावनी दी[2] कि वैश्विक पर्यावरण आंदोलन ने मानव जाति के सामान्य अस्तित्व की समस्याओं को भी उजागर किया है। दिसंबर 2004 में सुनामी, 2005 में यूएसए में कैटरीना, 2005 में गुजरात में भूकंप, 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और 2005 में बॉम्बे और अन्य जगहों पर भारीबारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने यह सामने ला दिया है कि मानव जाति को इन साझा खतरों का सामना करना होगा चाहे विश्व स्तर पर संप्रभु राज्यों का संघ निर्मित किया गया हो।

भारत के पास कई अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संधियों पर हस्ताक्षर करने के कारण कार्बन उत्सर्जन को कम करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व है। भारत ने ब्व्ब् 21 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 196 अन्य देशों के साथ मिलकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को ऐसे स्तरों से नीचे रखने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रतिबद्धता स्थापित की, जो औद्योगिक क्रांति से पहले वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकेंगे। 2030[3] तक, भारत गैर–जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी आएगी। देश ने अपनी 50þ ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादित करने का भी वादा किया है।[4] भारत ने 2070 तक[5] शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुँचने का भी संकल्प लिया है।जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक अस्तित्वगत आपदा है, जिसके लिए तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक मुकदमे[6] में अपना निर्णय सुनाया, जिसमें राष्ट्रीय सरकार को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं

---

1 U. N. Conference on human rights environment 1972 Www.un.org.
2 Assesing indias ambitious climate commitment www.energy policy. edu.
3 Assesing indias ambitious climate commitment www.energy policy. Edu.
4 India to achieve most of cop 21 on climate change in next 1.5year. economicstimes. Com
5 India is committed to achieve the net zero emission target by 2070. Pib. Gov.in
6 Klimaseniorinnen schwes and others v. Switzerland 2024 ECHR 304

को पूरा करने की आवश्यकता थी। इसने निष्कर्ष निकाला कि स्विस सरकार ने उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में विफल होकर अपने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए भयानक अपर्याप्तप्रयासों पर अपनी असहमति जताई। यह किसी सुपरनेशनल कोर्ट का पहला महत्वपूर्ण फैसला था, जिसने मानवाधिकारों के हनन को सीधे अपर्याप्त या जलवायु परिवर्तन कार्रवाई से जोड़ा।

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 2023[1] में किए गए स्वतंत्र अध्ययन से यह पता चलता है कि 2,341 से अधिक मामलों में से लगभग दो–तिहाई (1,557) 2015 के बाद से दायर किए गए हैं, जो पेरिस समझौते का वर्ष है। इनमें से केवल 190 मामले 2022–2023 में प्रस्तुत किए गए थे, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इन मामलों का हवाला दिया है।[2]

जलवायु परिवर्तन और भारतीय विधायन

जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारतीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। यह अधिनियम संघीय सरकार और राज्य सरकारों को निम्न अधिकार देता हैः पहला, पर्यावरण की रक्षा करना और उसे बढ़ाना।[3] दूसरा पर्यावरण में प्रदूषण की रोकथाम और शमन है। वायु प्रदूषण उत्सर्जन मानकों को नियंत्रित करने की अनुमति देने वाला एक अभिनव कानून 1981 का वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है। यह अधिनियम राज्य को किसी भी कारखाने, साथ ही किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया और नियंत्रण उपकरण की जांच करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।[4] इस अधिनियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा किए बिना, कोई भी उद्योग काम नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरणअधिनियम 2010 द्वारा शासित है। इन अधिकरणों की स्थापना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और कुशल समाधान की गारंटी देने के लिए की गई थी। इन अधिकरणों को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार है जिनमें कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा सामने आता है।

ऊर्जा दक्षता के लिए एक कानूनी आधार स्थापित करने के लिए, 2001 का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यह ग्राहकों को केवल ऊर्जा–कुशल तकनीक तक पहुँच प्रदान करके और बिजली विकास के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करके इसे पूरा करता है।

भारत मे वनो को बचाने और संरक्षित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया।इस अधिनियम के पारित होने के बाद सभी वुडलैंड्स को सरकार की आरक्षित संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जब किसी आरक्षित वन का उपयोग गैर–वनीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो अधिनियम एक क्षतिपूर्ति उपाय निर्धारित करता है।

आवासीय, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट को जल आपूर्ति को दूषित करने से रोकने के लिए, 1977 का जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह क़ानून जल उपभोग उपकर को नियंत्रित करता है। भारत की सीमाओं के अंदर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए, 2002 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम के तीन प्राथमिक लक्ष्य हैं पहला कदम सुसंगत वन्यजीव कानून बनाना है। दूसरा पशु अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की एक प्रणाली बनाना है।[5] तीसरा, अवैध वन्यजीव और माल यातायात को नियंत्रित करना।[6] भारतीय विधायिका ने पर्यावरण प्रदुषण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को दूर करने हेतु कई कानूनों का निर्माण किया है।

---

[1] Global trends in climate change litigation 2023 Lse. Ac.uk

[2] एम के रंजीत सिंह बनाम भारत संघ। सिविल अपील न. 3570/2022

[3] धारा 4 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

[4] धारा 24, 25 वायु (निवारण एवम नियंत्रण) अधिनियम 1980

[5] धारा 18, 35 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002

[6] धारा 38,39 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002

जलवायु परिवर्तन और भारतीय न्यायपालिका

न्यायपालिका द्वारा समय समय पर अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता की सृजनात्मक व्याख्या कर स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को भी अनु. 21 में स्वीकार किया गया है।

एस. के. कूलवाल वाद[1] में अभिनिर्धारित किया कि "पर्यावरण की शुद्धता, सफाई और स्वास्थ्य का रख–रखाव संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत वर्णित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिधि के अन्तर्गत सम्मिलित है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो यह मानव जीवन के लिए परिसंकटमय है तथा यह मन्द विष दिलाने का कार्य करता है।

हाल ही मे एम के रणजीत सिंह मामले[2] में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जलवायु न्याय ने भारत में ध्यान आकर्षित किया है। जीवन, स्वास्थ्य, भोजन, पानी और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकारों की रक्षा के लिए, निर्णय में कहा गया है कि हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ना चाहिए। यह ऐसे कानूनों को बढ़ावा देता है जो मानवाधिकारों और जलवायु कार्रवाई को समान प्राथमिकता देते हैं और तुरंत कार्रवाई करने के हमारे साझा दायित्व को स्वीकार करते हैं। पर्यावरण का अधिकार[3] जो संविधान के अनुच्छेद 21के दायरे में आता है, जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है और न्यायालय ने साथ ही यह भी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का भी हनन हो रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करताहै। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार[4] और "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार" को मान्यता दी।न्यायालय ने इस चुनौती को इस प्रकार समझाया कि, "यहाँ दुविधा जैव विविधता की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के बीच एक सूक्ष्म अंतर्संबंध को शामिल करती है, जो सतत विकास की पारंपरिक धारणा के विपरीत है, जो अक्सर आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध खड़ा करती है।" गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के तत्काल वैश्विक मुद्दे से निपटने के बीच एक गतिशील अंतर्संबंध है, न कि संरक्षण और विकास के बीच एक स्पष्ट विकल्प। हालाँकि भारतीय न्यायालयों ने अपने ऐतिहासिक हस्तक्षेपों और वन बेंचों के माध्यम से लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा पर बार–बार जोर दिया है, लेकिन इस बार उन्हें एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। नेट जीरो हासिल करने के लिए भारत की विश्वव्यापी सन्धियो और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के परिणामस्वरूप अपने निवासियों की देखभाल करने के राज्य के कर्तव्य के कारण न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना पड़ा।न्यायालय ने यूएनएफसीसीसी के प्राथमिक लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत की, जो यह है कि "जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है जिसके लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है", साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के लिए भारत की पिछली प्रतिबद्धताओं का भी पता लगाया। क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू होकर, जो 16 फरवरी, 2005 को लागू हुआ, और पक्षकारों को कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी, जिन्हें घरेलू कार्यों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए, भारत जलवायुपरिवर्तन को कम करने के वैश्विक आंदोलन का हिस्सा रहा है। इसके बाद बहुचर्चित पेरिस समझौता हुआ, जिस पर भारत ने 2015 में हस्ताक्षर किए और जलवायु परिवर्तन के लिए एक नया रास्ता तय किया।

निष्कर्ष

वेश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित विधिशास्त्र प्रगतिशील होता जा रहा है। अप्रैल 2016 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौता न केवल सरकारों को जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बनाता है, बल्कि यह भी स्वीकार करता है कि गैर–राज्य संगठनों को जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने मे सहयोग

---

[1] एस के कुलवाल बनाम राजस्थान राज्य। एआईआर 1988 राज 2 (1987)

[2] सिविल अपील न. 3570/2022

[3] रूरल लिटीगेशन एन्ड इंटाइटलमेंट केंद्र बनाम यू पी राज्य व अन्य। एआईआर 1988 एस सी 2187।

[4] एम सी मेहता बनाम कमलनाथ। 1997 एस सी सी 388।

की अपेक्षा करता है। इसी क्रम मे न्यायपालिका ने भी जलवायु परिवर्तन के संरक्षण में अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन किया है। अनुच्छेद 21 को विस्तारित रूप प्रदान कर पर्यावरण को एक अधिकार का रूप प्रदान किया जिसमे स्वस्थ एवं स्वच्छ वायु का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पानी का अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार प्रमुख है जो यह बताते है की न्यायपालिका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनभिज्ञ नहीं है और वह लोगो को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान किये जाने हेतु स्वयं भी प्रयासरत है और समय समय पर विधायिका और कार्यपालिका को भी आदेश और निर्देश जारी करती रही है।

❖◆❖